



उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड

विज्ञापन सं० 1/Rectt/2009

उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि० (उ.ज.वि.नि.लि.) जल विद्युत उत्पादन के कार्य-व्यापार में संलग्न हैं । निगम उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व में है तथा राज्य में जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं संवर्धन की दिशा में अग्रसित है । उ.ज.वि.नि.लि. वर्तमान में निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित करता है :-

क्र० सं०	पद नाम एवं वेतनमान	कोड न०	शाखा	सामान्य	अनु० जा०	अनु० ज० जा०	अ०पि०व० (Non-Creamy)	कुल पद
1	सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि० एवं या०) 8550-275-13500	ए-1	विद्युत	13	05	01	03	22
		ए-2	यांत्रिक	09	03	-	02	14
2	सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) 8550-275-13500	ए-3	जानपद	41	17	04	15	77
3	अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि० एवं या०) 5300-150-5600-175-9100	जे-1	विद्युत	41	08	01	08	58
		जे-2	यांत्रिक	27	05	01	05	38
4	अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) 5300-150-5600-175-9100	जे-3	जानपद	161	48	10	32	251
कुल पद				292	86	17	63	460

नोट: उपरोक्त पद उत्तराखण्ड शासन से अनुमति की प्रत्याशा में विज्ञापित किए जा रहे हैं एवं रिक्त पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है ।

उपरोक्त विज्ञापित पदों हेतु शीर्ष (Vertical) आरक्षण के साथ, उत्तराखण्ड महिला 30, भूतपूर्व सैनिक 05, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों 02 प्रतिशत एवं विकलांग अभ्यर्थियों (केवल अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के लिए श्रेणी 'ग' चलन प्रक्रिया संबंधी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) को 03 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षण नीतियों/निर्देशों के अनुसार उपलब्ध होगा ।

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि०एवंयां०)/जानपद

आवश्यक शैक्षिक योग्यतायें	आयु सीमा
<p>सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से अभियांत्रिकी की सम्बन्धित शाखा (इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल/जानपद) में डिग्री अथवा AMIE (Section A & B) में सामान्य/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 55 प्रतिशत अंको के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।</p> <p>अनु०जा०/ अनु०जनजाति अभ्यर्थियों के लिए अर्ह परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।</p> <p>विभागीय (उ०ज०वि०नि०लि० में कार्यरत) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए ।</p>	<p>सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01-01-09 को 21 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।</p> <p>अनु.जाति/अनु०ज०जाति हेतु 05 वर्ष, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (Non-Creamy), भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के आश्रितों हेतु 03 वर्ष एवं अनु. जाति/अनु०ज०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के शारीरिक रूप से विकलांग, अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी ।</p> <p>विभागीय अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी ।</p>

अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि०एवंयां०)/जानपद

आवश्यक शैक्षिक योग्यतायें	आयु सीमा
<p>अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु मान्यता प्राप्त पोलिटैक्निक/संस्थान से अभियांत्रिकी की सम्बन्धित शाखा (इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल/जानपद) में सामान्य/अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्षीय डिप्लोमा में 55 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।</p> <p>अनु०जा०/अनु०जनजाति अभ्यर्थियों को अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।</p> <p>विभागीय (उ०ज०वि०नि०लि० में कार्यरत) सामान्य एवं अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अर्ह परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए ।</p> <p>अन्य कोई अभियांत्रिकी शाखा एवं उच्च शैक्षिक योग्यता अनुमन्य नहीं होगी ।</p>	<p>सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की आयु दिनांक 01-01-09 को 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।</p> <p>अनु.जाति/अनु०ज०जाति हेतु 05 वर्ष, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (Non-Creamy), भूतपूर्व सैनिक एवं स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के आश्रितों हेतु 03 वर्ष एवं अनु. जाति/अनु०ज०जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के शारीरिक रूप से विकलांग, की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी ।</p> <p>विभागीय अभ्यर्थियों के लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी ।</p>

चयन प्रक्रिया:

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु)

अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा एवं उसके बाद संक्षिप्त सूचीबद्ध (Shortlisted) अभ्यर्थियों के साक्षात्कार परीक्षा के आधार किया जायेगा । सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन 176 अंको की लिखित परीक्षा एवं 24 अंको की साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर संयुक्त श्रेष्ठता सूची के अनुसार किया जायेगा । लिखित परीक्षा तीन घन्टे की अवधि की होगी, जिसमें दो प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type) के होंगे । प्रथम प्रश्न पत्र में General Aptitude Test से सम्बन्धित 50 प्रश्न होंगे तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अभियांत्रिकी पर आधारित (Technical (Discipline-wise)) 126 प्रश्न होंगे । जिनके कमशः 50 एवं 126 अधिकतम अंक होंगे । सामान्य एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा अनु० जाति/अनु०ज०जाति के अभ्यर्थियों हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे । साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को पूरी

तरह से मैरिट के क्रम में तथा सामान्यतः प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या के तीन गुना उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (including Tie) को ही आमंत्रित किया जायेगा । समान अंक (Tie) की स्थिति में श्रेष्ठता सूची में पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता दी जायेगी । अभ्यर्थियों का अंतिम चयन लिखित परीक्षा (88 प्रतिशत वेटेज) एवं साक्षात्कार (12 प्रतिशत वेटेज) में अर्जित अंकों के आधार पर तैयार की गई संयुक्त श्रेष्ठता सूची (Merit List) के आधार पर किया जायेगा । सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के लिए अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के लिए सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर चयनित किये जायेंगे तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही उनको नियमानुसार निगम में सहायक अभियन्ता कैंडर में नियुक्त किया जायेगा ।

अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)

अभ्यर्थियों का चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा । अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) हेतु लिखित परीक्षा तीन घण्टे की अवधि तथा दो प्रश्न-पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रकार (objective type) की होगी । प्रथम प्रश्न पत्र में General Aptitude Test से सम्बन्धित 50 प्रश्न होंगे तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में अभियांत्रिकी पर आधारित (Technical (Discipline-wise) 130 प्रश्न होंगे । जिनके क्रमशः 50 एवं 130 अधिकतम अंक होंगे । सामान्य एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा अनु0 जाति/अनु0ज0जाति हेतु 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे । अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनायी गयी श्रेष्ठता सूची (Merit List) के अनुसार होगा । समान अंक (Tie) की स्थिति में श्रेष्ठता सूची में पहले जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता दी जायेगी । अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के लिए अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के लिए अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर चयनित किये जायेंगे तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त ही उनको नियमानुसार निगम में अवर अभियन्ता कैंडर में नियुक्त किया जायेगा ।

परीक्षा केन्द्र :

चयन हेतु लिखित परीक्षा निम्न लिखित केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी । अभ्यर्थियों को अपनी प्राथमिकता के क्रम में दो विकल्पों को भरना होगा । स्थान की उपलब्धता का ध्यान रखते हुए केन्द्रों का चयन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर प्राथमिकता के विकल्प को प्रथम से द्वितीय में स्थानांतरित किया जा सकता है ।

परीक्षा केन्द्र: (1) देहरादून (2) पंतनगर (3) अल्मोड़ा (4) श्रीनगर

आवेदन शुल्क :-

सभी पदों हेतु सामान्य/अन्य पिछडा वर्ग एवं अन्य श्रेणियों के लिए रू0 400.00 तथा अनु0जाति/अनु0ज0जाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 200.00 का Account Payee बैंक ड्राफ्ट जो कि "उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0" के नाम हो तथा देहरादून के किसी शैडयूल बैंक की शाखा में देय हों संलग्न करना अनिवार्य है। (जो किसी भी दशा में वापिस नही की जाने वाली Procesing Fees है)। ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम, एवं आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें ।

सामान्य निर्देश

1. अभ्यर्थी हिन्दी लिखने तथा बोलचाल में सक्षम होने चाहिए।
2. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी/मूल निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु प्रदेश के किसी रोजगार कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशित होने से पूर्व पंजीकृत हो।
4. सभी योग्यताएं मान्यताप्राप्त संस्थान/बोर्ड/विश्वविद्यालय से प्राप्त होनी चाहिए।
5. किसी विशेष श्रेणी से सम्बन्धित होने का दावा प्रस्तुत किये जाने वाले अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड राज्य के सक्षम अधिकारी से निर्धारित प्रारूप में सम्बद्ध प्रमाण-पत्र की प्रति आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी, अन्यथा उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा तथा बाद में श्रेणी परिवर्तन की किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. 200 उम्मीदवारों से कम वाले किसी विशेष स्थान की दशा में, प्रबन्धन को यह अधिकार है कि वह उस विशेष स्थान का विलय अपनी इच्छा पर निकटतम भौगोलिक स्थान पर कर दे।
7. एक बार आवंटित परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने हेतु उसकी ग्राह्यता ही काफी नहीं होगी।
9. लिखित परीक्षा में बुलाए जाने हेतु उम्मीदवारों की संख्या को सीमित किये जाने के क्रम में प्रबन्धन को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक/तकनीकी योग्यताओं में उनके द्वारा प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को ही बुलाए।
10. लिखित परीक्षा हेतु अर्ह/पात्र अभ्यर्थियों की सूची, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा की तिथि निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाएगी। इस सूची पर उपलब्ध सभी अर्ह/पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा निर्गत कर दिए जायेंगे।
11. प्रशिक्षित प्रशिक्षु के नियोजन हेतु आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर अवधि की छूट अनुमन्य होगी। शिथिलता हेतु उन प्रशिक्षु प्रशिक्षार्थी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा जैसा कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय (Apex Court) द्वारा दिये गए हैं।
12. उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैन्टिसशिप प्राप्त मूल/स्थाई निवासी अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की छूट होगी।
13. लिखित परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर हेतु 1 अंक तथा गलत उत्तर हेतु ऋणात्मक (Negative) 1/4 अंक होंगे।
14. लिखित परीक्षा की उत्तरशीट (Answer Sheet) डुप्लिकेट में होगी तथा परीक्षा के बाद डुप्लिकेट प्रति एवं प्रश्न बुकलेट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
15. लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) को निगम की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
16. चयन का परिणाम घोषित करने के साथ ही सभी अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के अंको को निगम की वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
17. सभी पदों को उजविनिलि के संचालन क्षेत्र में रखा जाएगा जो, समयानुसार आवश्यकता पर निर्भर होगा।
18. उम्मीदवारों से आग्रह है कि वे ध्यान रखें कि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0 में उनका पदस्थापन/तैनाती अधिकतर उत्तराखण्ड के पहाड़ी/दूरवर्ती क्षेत्रों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स/पावर स्टेशन्स में होगा। उम्मीदवारों को इन स्थानों पर कार्य करने के लिए इच्छुक होना चाहिए।

19. इस विज्ञापन तथा अथवा इस संदर्भ में प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में उठे किसी प्रकार के विवाद अथवा दावे के लिए कोई भी कानूनी प्रक्रिया केवल देहरादून तथा केवल देहरादून स्थित न्यायालय/ट्रिब्यूनल/फोरम में ही दायर की जा सकती है जो ऐसे वाद/विवाद निपटाने का एकमात्र न्यायक्षेत्र होगा।
20. किसी भी तरह की लॉबी/प्रचार अभ्यर्थी की अयोग्यता समझी जाएगी।
21. अभ्यर्थी एक पद हेतु केवल एक ही आवेदन पत्र प्रेषित करें। एक ही पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित करने पर अभ्यर्थी की पात्रता को निरस्त किया जा सकता है।
22. आवेदन के साथ समस्त शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण-पत्रों/अंक तालिकाओं की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां भी संलग्न होनी चाहिए।
23. अभ्यर्थी द्वारा दिये गये अधूरे/गलत/अपठनीय वर्तमान पत्र व्यवहार के पते के कारण यदि कोई सूचना अभ्यर्थी तक नहीं पहुँचती है तो उजविनिलि इस हेतु किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
24. व्यक्तिगत रूप से लाए अथवा कोरियर द्वारा भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
25. निर्दिष्ट समय के भीतर प्रपत्रों/आवेदन के प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की देरी/रवानगी में खो जाने के लिए उ.ज.वि.नि. लि. उत्तरदायी नहीं होगा।
26. केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान/उजविनिलि में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने आवेदन उपयुक्त माध्यम (Through proper channel) से भेजने होंगे, जिसमें यह उल्लेख हो कि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/विजिलेन्स मामला नहीं चल रहा है।
27. सहायक अभियन्ता के पद पर साक्षात्कार के समय केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/प्रतिष्ठान में कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने नियोक्ता से प्राप्त NOC प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
28. किसी भी प्रकार से अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक/बिना प्रोसेसिंग शुल्क/बिना हस्ताक्षर अथवा उल्लिखित निर्देशों के विपरीत, या देर से प्राप्त किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
29. अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप निगम की वेबसाईट www.uttarakhandjalvidyut.com से ही डाउनलोड कर वांछित प्रमाण पत्रों एवं निर्धारित शुल्क सहित दिनांक 07-02-2009 तक विज्ञापन में निर्दिष्ट पते पर प्रेषित करें। अन्य किसी प्रकार के प्रारूप पर प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
30. आवेदन मोहरबन्द लिफाफे में, (जिस पर आवेदित पद का नाम एवं कोड उद्घृत हो), केवल पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा निम्नलिखित पते पर इस प्रकार भेजें कि दिनांक 07-02-2009 तक अवश्य पहुँच जाए :-

कुल सचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
ए-12, सरस्वती विहार,, लोअर अधोईवाला
पो0ओ0 डालनवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)